संख्या-101/2016/1446/41-2016-159 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2016

विषय- हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों तथा कानपुर आगरा मार्ग तथा लखनऊ, वाराणसी मार्ग में साइनेज बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-695/6-1-1 (704)/2015, दिनॉक 11-08-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों तथा कानपुर आगरा मार्ग तथा लखनऊ, वाराणसी मार्ग में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित आगणन का लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 286.90 लाख (रू0 दो करोड. छियासी लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 01/2016/3855/41-2015-159 यो0/15, दिनांक 01.01.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्वीकृति में सर्विस टैक्स का प्राविधान नही किया गया था। वित्त विभाग के शासनादेश सं0 1/2016/ए-2-65/दस-2016-जनरल (2)/2016, दिनांक 15.02.2016 द्वारा निर्माण कार्यों पर सर्विस टैक्स की देयता अनुमन्य की गयी है तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन सं0 6/2015-सर्विस टैक्स, दिनांक 01.03.2015 को प्रकाशित गजट के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से सर्विस टैक्स देय है। अत: उक्तानुसार महानिदेशक, पर्यटन द्वारा हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों तथा कानपुर आगरा मार्ग तथा लखनऊ, वाराणसी मार्ग में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 286.90 लाख में सर्विस टैक्स रू0 15.03 लाख की धनराशि को जोडते हुये प्रश्नगत परियोजना का पुनरीक्षित लागत रू0 301.93 लाख का प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराया गया।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अत: महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रस्ताव के क्रम में हेरिटेज गोल्डेन आर्क योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों तथा कानपुर आगरा मार्ग तथा लखनऊ, वाराणसी मार्ग में साइनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु पुनरीक्षित धनराशि रू0 301.93 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 15.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत शासनादेश सं0 01/2016/3855/41-2015-159 यो0/15, दिनांक 01.01.2016 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-101/2016/1446(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ/कानपुर, वाराणसी मण्डल ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in